न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज॰

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 171/2023
जीसीएमएस नं. :– 2023/271

प्रार्थी :–
भीमसिंह पुत्र हनुमानसिंह उर्फ हड़मानसिंह जाति राजपुत निवासी साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री अशोक कड़वासरा प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– 08.09.2023

"आदेश"

दिनांक : 20.08.2024

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम साथीन चक। की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 667 रकबा 8.6806 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम खाता संख्या नया 464 व खाता संख्या पुराना 650 के अनुसार स्थित है तथा ग्राम साथीन चक। की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 30 रकबा 4.8945 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा संख्या 33 रकबा 1. 5128 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा संख्या 9 रकबा 3.2926 हैक्टेयर कुल खसरे 3 रकबा 9.6999 हेक्टेयर खाता संख्या नया 463 व खाता संख्या पुराना 650 के अनुसार स्थित है तथा ग्राम साथीन चक द्वितीय की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 2241/2 रकबा 1.4400 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 2243 रकबा 0. 2346 किस्म गे. मुमकिन, खसरा संख्या 2244 रकबा 0.0243 किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 2245 रकबा 0.0405 किस्म गे.मु. खड्डा व खसरा संख्या 2246 रकबा 4. 9915 किस्म चाही प्रथम खाता संख्या नया 860 व खाता संख्या पुराना 633 के अनुसार स्थित है जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार पुश्तैनी, खातेरीसुदा कृषि भूमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के पिता हनुमानसिंह के देहान्त पश्चात उक्त भूमि बहेसियत वारिसान प्रार्थी के साथ साथ व अन्य वारिसान के नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम हनुमानसिंह घरेलू रूप से पुकारा जाने वाला नामांतरण के रूप में दर्ज किया गया जबकी प्रार्थी के पिताजी का वास्तविक व दस्तावेजी के नाम हड़मानसिंह हैं। उपरोक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिताजी का नाम भूलवंश अथवा पेन मिस्टेक के कारण साथ–साथ घरेलू नाम होने के कारण तत्कालिन आवेदनकर्ता ने बोल चाल की भाषा में बोले जाने वाले नाम प्रार्थी के नाम हड़मानसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो सका जबकी प्रार्थी के पिताजी का नाम राशनकार्ड, पहचान–पत्र व आधार कार्ड में व रहवासीय मकान के पट्टे में भी तथा पेन कार्ड में भी एवं जन आधार में भी हड़मानसिंह के नाम से दर्ज हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी पिताजी के नाम अलग अलग होने के कारण राजस्व अथवा अन्य रेकर्ड मे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पिताजी के हर जगह दो नाम के एक व्यक्ति साबित करने हेतु कई परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी की परेशानियों को देखते हुए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिताजी का नाम

20.8

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हनुमानसिंह के स्थान पर हड़मानसिंह दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी के पिताजी हनुमानसिंह उर्फ हड़मानसिंह के नाम का प्रार्थी के पिताजी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि पिताजी हनुमानसिंह की जगह मुझ प्रार्थी के पिताजी हड़मानसिंह के ही घरेलू नाम हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पिताजी के नाम अलग अलग होने के कारण प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड से परेशानी से निजात पाने के लिए उक्त नाम को हनुमानसिंह के स्थान हड़मानसिंह कर रेकर्ड शुद्धी करवानी आवश्यक हैं ताकि प्रार्थी को बार-बार अपने नाम को लेकर होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार से जवाब तलब कर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिताजी का नाम हनुमानसिंह के स्थान पर हड़मानसिंह नाम शुद्धी किये जाने के सादर आदेश फरमावे।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम साथीन प्रथम के जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 464 व पटवारी मण्डल साथीन द्वितीय के खाता सं 860 में प्रार्थी का नाम भीमसिंह पुत्र हनुमानसिंह संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं । प्रार्थी के आधार कार्ड एवं दस्तावेजो में भीमसिंह पुत्र हड़मानसिंह है और हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार हनुमानसिंह व हड़मानराम दोनो एक ही व्यक्ति हैं। पटवार मण्डल साथीन प्रथम के खाता सं. 464 व साथीन द्वितीय के खाता सं. 860 में प्रार्थी के पिता का नाम हनुमानसिंह के स्थान पर हड़मानसिंह किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम साथीन प्रथम के खाता नंम्बर 464 व साथीन द्वितीय के खाता नम्बर 860 में प्रार्थी के पिता का नाम हनुमानसिंह के स्थान पर हड़मानसिंह दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 20.08.24 को सर-ए-इजलास सुनाया गया ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर